



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231017
CG-DL-E-11112021-231017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4268]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2021/कार्तिक 19, 1943

No. 4268]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2021/KARTIKA 19, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4633(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य में नाचना से पचपदरा रिफाइनरी तक पानी के परिवहन के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री उगमदान रत्नू, सक्षम प्राधिकारी, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान), तेल भवन, सहकार मार्ग, लाल कोठी विस्तार, ज्योति नगर, जयपुर-302 005 (राजस्थान) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तहसील : गिडा		जिला : बाड़मेर	राज्य : राजस्थान		
1	पाना देवडा	41	00	33	29
		71 / 38	00	02	43
		75 / 39	00	35	89
		74 / 39			
		68 / 36	00	45	89
		78 / 43 (सरकारी—ग्राम पंचायत रास्ता)	00	03	63
		77 / 43 (सरकारी पीडब्ल्यूडी सड़क)			
		93 / 51	02	00	00
		94 / 51 (सरकारी पीडब्ल्यूडी सड़क)	00	02	00
		98 / 52	00	63	60

[फा. सं. आर-11025(1)/2019-ओआर-1/ई-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4633(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Nachana to Pachpadra Refinery, a pipeline should be laid in State of Rajasthan by HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Ugandan Ratnoo, Competent Authority, HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan), Tel Bhavan, Sahakar Marg, Lal Kothi Vistar, Jyotinagar, Jaipur -302 005 (Rajasthan).

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TEHSIL : GIDA		DISTRICT : BARMER	STATE : RAJASTHAN		
1	PANA DEVDA	41	00	33	29
		71/38	00	02	43

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		75/39	00	35	89
		74/39			
		68/36	00	45	89
		78/43 (G/L-Gram Panchyat Rasta)	00	03	63
		77/43 (G/L- PWD Road)			
		93/51	02	00	00
		94/51 (G/L- PWD Road)	00	02	00
		98/52	00	63	60

[F. No. R-11025(1)/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.